

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

छितरमल

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

श्यामलाल वगैरह

मुकदमा नं. 196/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
26/12/21	<p>पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में कन्वेंशन कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली हुक्मका दोकर दिनांक 10/12/21 को पेश हो।</p> <p>10.02.2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आर्टीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 06.10.2021 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है, जबकि उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है तथा इनके निस्तारण हेतु 3 माह की अवधि निर्धारित है। वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे। परन्तु वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तलबी हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 एक्ट 1955 प्रभावी पैरवी एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम हाजरी/अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">(दिव्या सीनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	